संख्या-7/2020/129/35-4-2020

प्रेषक,

आर.एन.एस. यादव,
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती एवं बलरामपुर,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी,2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपदो को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूँजीगत विकास कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 240/2019/1803/35-4-2019 दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के साथ संलग्न सूची में क्रमांक-73 व 74 के सम्मुख इंगित धनराशि टंकण त्रुटिवश गलत अंकित हो गई है। अतः क्रमांक-73 व 74 के सम्मुख इंगित धनराशि को निम्न विवरण के अनुसार पढ़ा जाये:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि			शहरी क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि		
1	2	3			4		
	विवरण	शासनादेश दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा आवटित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि	जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि	शासनादेश दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा आवटित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि	जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**
73	श्रावस्ती	63.00	17.00	80.00	15.73	4.27	20.00
74	बलरामपुर	63.00	17.00	80.00	15.73	4.27	20.00
	योग-	**126.00**	**34.00**	**160.00**	**31.46**	**8.54**	**40.00**

1. सन्दर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।
2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7/2020/129/35-4-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज ।
3- अपर मुख्य सचिवएवं वित्त आयुक्त,वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 ।
10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी) अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।